संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग

विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाषः 0755–2550909, 2550918 फैक्स 0755–2550912

Email-icpsbhopal@gmail.com www. mpwcd.nic.in

क्रमांक/मबावि/22/ICPS/ 1279 भोपाल, दिनांक 11/11/2022

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–समस्त,
मध्यपदेश।

विषय :– किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 एवं मूल नियम, 2016 के तहत् कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना दिनांक 26 अक्टूबर 2022।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश राज्य में 25 अगस्त 2022 म.प्र किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2022 लागू किये गये थे जिसके अनुसार प्रदेश में म0प्र0 नियम 2022 के अनुसार कार्यवाही संपादित की जा रही थी परंतु भारत सरकार द्वारा 01 सितम्बर 2022 से किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 एवं किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधित नियम, 2022(मूल नियम, 2016) को प्रभावशील घोषित जाने के कारण अधिनियम, की धारा 110 के प्रावधानुसार अधिनियम एवं नियम में किये गये संशोधन अनुसार कार्यवाही की जाना आवश्यक है।

कृपया विदित हो कि उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा संदर्भित संलग्न अधिसूचना द्वारा किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधित नियम, 2022(मूल नियम, 2016) को मध्यप्रदेश राज्य के लिए प्रभावशील घोषित/अंगीकृत किया गया है।

अतः जिले में संदर्भित संलग्न अधिसूचना अनुसार किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधित नियम, 2022(मूल नियम, 2016) के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. राम राव भोंसले)
संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश
10.11.22

/मबावि/22/ICPS/ 1280 भोपाल, दिनांक 11/11/2022

तलिपिः—

1. अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. रजिस्ट्रार, किशोर न्याय समिति,माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश।
3. पुलिस अधीक्षक जिला समस्त मध्यप्रदेश।
4. संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग संभाग समस्त मध्यप्रदेश।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला समस्त मध्यप्रदेश।
6. किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति जिला समस्त मध्यप्रदेश।
7. अधीक्षक/प्रबंधक समस्त शासकीय/अशासकीय संस्था मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश
10.11.22

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2022—कार्तिक 13, शक 1944

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2022

क्र. 6995-96-900703-22-पचास-2.—भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021 एवं मॉडल संशोधन नियम, 2022 के पूर्व ही राज्य शासन द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2022 को मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2022 को अधिसूचित किया गया था.

भारत सरकार द्वारा किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021 दिनांक 1 सितम्बर 2022 को अधिसूचित किया. उक्त संशोधित किशोर न्याय अधिनियम, 2021 के आधार पर भारत सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 एवं मूल नियम, 2016 को भी दिनांक 1 सितम्बर 2022 को अधिसूचित किया गया.

राज्य शासन द्वारा दिनांक 07 सितम्बर 2022 को मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2022 के नियम 36 में संशोधन किया जाकर अधिसूचित किया गया.

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 में किये गये संशोधनों को राज्य शासन द्वारा अंगीकार किया जाना आवश्यक होने एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 एवं मूल नियम, 2016 में, उक्त अधिसूचित संशोधन दिनांक 7 सितम्बर 2022 में उल्लेखित प्रावधानों को यथावत् रखे जाने के उद्देश्य से राज्य शासन, एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 एवं मूल नियम, 2016 को मध्यप्रदेश राज्य के लिये निम्नलिखित संशोधन के साथ मध्यप्रदेश राज्य के लिए प्रभावशील घोषित/अंगीकृत करता है.

(क) नियम 33 की कंडिका (1) (iii) में उल्लेखित तालिका के सरल क्रमांक 15 का लोप किया जाता है.

(ख) नियम 33 की कंडिका (1) (iii) में उल्लेखित तालिका के सरल क्रमांक 16 में से (केवल शाकाहारी को) का लोप किया जाता है.

(ग) नियम 33 की कंडिका (6) (दो) का लोप किया जाता है.

(घ) नियम 33 की कंडिका (8) (तीन) का लोप किया जाता है एवं उसके स्थान पर निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाता है:—

"बालक के बीमार होने की स्थिति में अथवा वजन बढ़ाने अथवा अन्य स्वास्थ्य कारणों के लिए अतिरिक्त आहार संस्था के चिकित्सक की सलाह पर दिया जायेगा जो दैनिक राशन की परिगणना के प्रयोजनार्थ बीमार बालकों को दैनिक आहार अनुसार दिये जाने वाले निर्धारित आहार से अतिरिक्त दिया जायेगा."

2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 एवं मूल नियम, 2016 नियम तब तक पृवत्त रहेंगे जब तक कि मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2022 में संशोधन कर अधिसूचित ना कर दिये जाये.

3. इन नियमों के लागू होने के पूर्व किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2022 के उपबंधों के अधीन की गई कार्यवाही या जारी किये गये आदेश जहां तक वह इन नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गई या जारी किये गये समझे जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसारिया, उपसचिव.